









## Admission Card (for Candidate)

	<b>Rajasthan Public Service Commission</b> <b>ADMISSION CARD ( Admitted provisionally subject to eligibility )</b> School Lecturer (Boys School) - 2018 (School Education)		Center	UDAIPUR	Roll No												
			App. No.	201908164361	607342												
Name of Candidate	PINKI KUMARI			  पिकी कुमारी													
Father Name	MOTI LAL																
Category	BC																
Gender	Female																
Date of Birth	15-May-1995																
<b>महत्वपूर्ण निर्देश :</b> 1. अभ्यर्थी अपने साथ प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अपना फोटो युक्त मूल पहचान पत्र परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से लेकर उपस्थित होवे अन्यथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 2. परीक्षा केंद्र में मोबाइल ब्लूटूथ एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र ले जाना वर्जित है। 3. अभ्यर्थी परीक्षा समय से एक घण्टे पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित होवे। 4. अलग अलग परीक्षा केंद्र होने की स्थिति में अभ्यर्थी अलग अलग प्रवेश पत्र मय उपस्थित पत्र डाउनलोड कर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवे।																	
<b>Examination Schedule and Centre Details</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subject</th> <th>Date &amp; Time For Examination</th> <th>Center Code</th> <th>Centre Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GENERAL AWARENESS AND GENERAL STUDIES</td> <td>06-Jan-2020 09:00 AM to 10:30 AM</td> <td>33-0006</td> <td>GOVT GIRLS SR SEC SCHOOL BHUPALPURA, UDAIPUR 313001 PH- 02942421180</td> </tr> <tr> <td>ECONOMICS</td> <td>08-Jan-2020 09:00 AM to 12:00 PM</td> <td>33-0006</td> <td>GOVT GIRLS SR SEC SCHOOL BHUPALPURA, UDAIPUR 313001 PH- 02942421180</td> </tr> </tbody> </table>						Subject	Date & Time For Examination	Center Code	Centre Name	GENERAL AWARENESS AND GENERAL STUDIES	06-Jan-2020 09:00 AM to 10:30 AM	33-0006	GOVT GIRLS SR SEC SCHOOL BHUPALPURA, UDAIPUR 313001 PH- 02942421180	ECONOMICS	08-Jan-2020 09:00 AM to 12:00 PM	33-0006	GOVT GIRLS SR SEC SCHOOL BHUPALPURA, UDAIPUR 313001 PH- 02942421180
Subject	Date & Time For Examination	Center Code	Centre Name														
GENERAL AWARENESS AND GENERAL STUDIES	06-Jan-2020 09:00 AM to 10:30 AM	33-0006	GOVT GIRLS SR SEC SCHOOL BHUPALPURA, UDAIPUR 313001 PH- 02942421180														
ECONOMICS	08-Jan-2020 09:00 AM to 12:00 PM	33-0006	GOVT GIRLS SR SEC SCHOOL BHUPALPURA, UDAIPUR 313001 PH- 02942421180														
SSO Id PINKYPARMAR098 IP Address 157.37.218.33 Timestamp 2020-01-05 11:02:15.0 चेतावनी :- ट्रेन की छत एवं पायदान पर यात्रा करना कानूनी अपराध है तथा ऐसा पाए जाने पर परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।																	

><-----<-----यहाँ से काटिये-----<-----><

## Attendance Sheet (for Examination Centre )

	<b>Rajasthan Public Service Commission</b> School Lecturer (Boys School) - 2018 (School Education)			Center	UDAIPUR
	Roll No	607342	App. No.	201908164361	 
Name of Candidate	PINKI KUMARI				
Father Name	MOTI LAL				
Category	BC				

<b>Gender</b>	Female	<b>Date of Birth</b>	15-May-1995	पिंकी कुमारी
---------------	--------	----------------------	-------------	--------------

## Candidates Attendance

Subject	Date & Time For Examination	Center Code	Centre Name	Candidate Sign	Invigilator Sign
GENERAL AWARENESS AND GENERAL STUDIES	06-Jan-2020 09:00 AM to 10:30 AM	33-0006	GOVT GIRLS SR SEC SCHOOL BHUPALPURA, UDAIPUR 313001 PH-02942421180		
ECONOMICS	08-Jan-2020 09:00 AM to 12:00 PM	33-0006	GOVT GIRLS SR SEC SCHOOL BHUPALPURA, UDAIPUR 313001 PH-02942421180		

- Note :**
1. This Attendance Sheet is attached with Admission Card. Invigilator should detach it at examination centre and take the signature of Candidate. This copy will be kept by Examination Centre and sent to RPSC after Examination.
  2. Mention the additional identity proof provided by candidate \_\_\_\_\_

**Signature and Seal of Center Superintendent**

Affix recent Passport  
size Photograph  
(DO NOT USE STAPLER  
OR PIN)

Rajasthan Public Service Commission Ghooghara Ghati, Jaipur Road, Ajmer, Rajasthan 305001  
RPSC Control Room : 0145-2635200, RPSC Help Line : 0145-2635212

**राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर****परीक्षार्थियों के लिए मुख्य अनुदेशः**

1. ई-प्रवेश पत्र प्रोविजनल है, परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के सम्बन्ध में संतुष्ट हो जाना चाहिए।
2. फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं गहन तलाशी के उपरान्त ही परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा। फोटो पहचान पत्र हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे - मतदाता पहचान कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी।
3. परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र पर केवल निम्न सामग्री लानी है:-
  - i. ई-एडमिट कार्ड।
  - ii. 2.5 cm x 2.5 cm साइज का नवीनतम रंगीन फोटो (उपस्थिति पत्रक पर चिपकाकर लायेंगे)।
  - iii. नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन।
  - iv. फोटो युक्त पहचान पत्र।
4. परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से एक घन्टा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जावें ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
5. ओ.एम.आर. शीट में अधूरे/गलत रोल नम्बर भरने वाले, दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही रोल नम्बर भरे जाने पर गलत रोल नम्बर भरने वाले अथवा गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकेगा।
6. विभागीय वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर ई-प्रवेश पत्र के साथ उपलब्ध निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन कर उनकी पालना करना सुनिश्चित करें।
7. सर्दी के मौसम के मद्देनजर गर्म कपड़े एवं शूज (shoes) पहनकर परीक्षा में बैठने हेतु अनुमत किया जाता है।
8. परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों की गहन सुरक्षा जांच (Frisking) की जाएगी अतः आपकी सुविधा के लिए अनुरोध है कि परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा अन्य कोई जेवरात पहनकर नहीं आयेंगी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, मौजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे।
9. परीक्षा केन्द्र में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट के पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

10. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे, अन्य सीट पर बैठने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जा सकती है।
11. किसी परीक्षार्थी को ई-एडमिट कार्ड साथ लाए बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है।
12. परीक्षा समाप्त होने पर अभिजागर के ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक एकत्रित करने के पश्चात् ही परीक्षार्थियों को अपनी सीट छोड़ने की अनुमति होगी।
13. परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर दिए निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें।
14. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र बुकलेट का कोई भी पृष्ठ या उसका हिस्सा अलग नहीं करेंगे। ऐसा करने पर आयोग द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के अलावा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
15. परीक्षार्थी को परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् प्रश्न-पत्र बुकलेट और ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति साथ ले जाने की अनुमति है।
16. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को स्वयं का श्रुतलेखक (scribe) लाने हेतु अनुमत किया जाता है, ऐसे अभ्यर्थियों को एक वचन-पत्र (Under-taking) प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुतलेखक (Scribe) नहीं लाते हैं, वे परीक्षा की नियत तिथि से दो कार्य दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के साथ इस सुविधा के लिए आवश्यक रूप से आवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। अभ्यर्थी श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत अनुदेशों का आयोग की वेबसाइट पर अवलोकन करें।
17. यदि आयोग द्वारा गठित पैनल में से अभ्यर्थी श्रुतलेखक चुनना चाहता है तो, परीक्षा से दो दिवस पूर्व कलेक्टर कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम पर अभ्यर्थी को उपस्थित होकर श्रुतलेखक नियुक्ति हेतु निवेदन करना होगा। इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत निर्देशों का अवलोकन करें।
18. ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में निर्धारित प्रविष्टियों/उत्तर के गोले गहरे करने के अलावा कोई भी निशान या संकेत या लिखावट लिखना दण्डनीय है। कृपया उत्तर पत्रक (ओ.एम.आर.) भरने से पूर्व उसके कार्बन प्रति पर दिये निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद ही ओ.एम.आर. शीट में प्रविष्टियां करें। ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर में सही का निशान लगाना, आंशिक गोला भरना या गोले के अतिरिक्त पेन का छोटा या हल्का पाइन्ट भी लगाया जायेगा तो उस स्थिति में भी जवाब गलत माना जायेगा।
19. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
20. आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोकने की दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।